स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 383, दिनांकः 27–12–2024

थाना भीलाड़, जनपद बलसाड़ (गुजरात) क्षेत्र में हुए अपहरण की घटना में वॉछित मुख्य अभियुक्त आगरा से गिरफ्तार।

दिनांकः 27–12–2024 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश एवं गुजरात पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना भीलाड जनपद बलसाड गुजरात के मु0अ0सं0–11200007242108 धारा–137(2) बढ़ोत्तरी 140(2) बीएनएस में वॉछित अभियुक्त शहवाज खान उर्फ सोनू को आगरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

शाहवाज खान उर्फ सोनू पुत्र मो0 फारूख खान निवासी टैक्सी स्टैण्ड के पास चूना भट्टी कुरला मुम्बई। (महाराष्ट)

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक–27–12–2024 समय–13.15 बजे प्रभू सिनेमा के सामने थाना क्षेत्र जगदीशपुरा, आगरा।

थाना भीलाड़ बलसाड़ (गुजरात) क्षेत्र मे हुए अपहरण की घटना के सम्बन्ध में थाना भीलाड़ जनपद बलसाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0–11200007242108 धारा–137(2) बढ़ोत्तरी 140(2) बीएनएस में वॉछित अभियुक्त शहवाज खान उर्फ सोनू के उ0प्र0 में होने की सूचना पर गुजरात पुलिस द्वारा एसटीएफ उ0प्र0 से आवश्यक सहयोग मॉगा गया था। जिस पर श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा को वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए गुजरात पुलिस को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया था।

दिनांक–27–12–2024 को निरीक्षक श्री हुकुम सिंह, निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा, हे0का0 प्रशान्त कुमार, हे0का0 विवेक कुमार, हे0का0 अंकित गुप्ता एस0टी0एफ0 यूनिट आगरा एवं गुजरात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान अभियुक्त शाहवाज खान के प्रभु सिनेमा के सामने, थाना क्षेत्र, जगदीशपुरा के पास होने की सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताॅछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह पहले टीएसआई (ट्रान्सवर्ल्ड सिस्टम, इण्डिया) में नौकरी करता था। उसके साथ ही एक लड़की भी काम करती थी। जिससे इसका अवैध सम्बन्ध हो गया था। उक्त लड़की ने इसकी और अपनी आपत्तिजनक वीडियो बना ली थी। उस वीडियो को दिखाकर वह 25 लाख रूपये की मॉग करती थी। इसके पास उतना पैसा न होने पर यह अपने साथी उवेर के साथ मिलकर अपने मौसी की लड़की के लडके अफाक पुत्र आदिल शेख निवासी वापी बलसाड़ गुजरात के अपहरण की योजना बनाया। दिनांक 23–12–2024 को धनौली बलसाड़ गुजरात मे एक शादी थी जिसमें अपहृत अफाक के परिवारीजनों के साथ ही यह भी सम्मिलित हुआ था। उसी दौरान रात्रि के समय यह किसी बहाने से अपने मामा अब्दुल मलिक खान की वैगनार कार लेकर अफाक (अपहृत) को साइकिल दिलाने के बहाने उसे भी कार में बैठा लिया। अफाक को

कार में बैठाकर यह उक्त स्थान से 11 किलोमीटर दूर जीआईडीसी दमन गांगा के पास एक फैक्ट्री के पीछे झाड़ियों में अफाक का गला दबाकर उसे मृत समझकर फेक दिया। दिनांक 24–12–2024 को पुलिस को अपहृत अफाक जीवित अवस्था में मिल गया। जिस पर यह वहॉ से भागकर आगरा आ गया। आज मुम्बई भागने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना जगदीशपुरा, आगरा में दाखिल करके विवेचक श्री जे0एस0 रब्बारी बीएसआई थाना भीलाड़ जिला बलसाड़ गुजरात को सुपुर्द कर ट्रॉजिस्ट रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व पंजीकृत मु0अ0सं0–11200007242108 धारा–137(2) बढ़ोत्तरी 140(2) बीएनएस थाना भीलाड जिला बलसाड़ गुजरात के सम्बन्ध में गुजरात पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।